

स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय,  
भा0प्र0से0  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,  
बिहार।

पटना, दिनांक- ३०.०३. 2016

विषय:- बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001- अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड N2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय के लिये कुल ₹ 6,14,60,000/- (छः करोड़ चौदह लाख साठ हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001- अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड N2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय के लिये कुल ₹ 6,14,60,000/- (छः करोड़ चौदह लाख साठ हजार रुपये) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित किया जाता है।

2. व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ विषय शीर्ष के अन्तर्गत आवंटित राशि से संविदा पर कार्यरत कर्मियों के वेतन/मानदेय का सर्व प्रथम भुगतान किया जायेगा।
3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 396 दिनांक 24.04.2015 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
6. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
8. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
9. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
10. इसकी मांग संख्या-33 एवं विपत्र कोड संख्या N2053000940001 है।
11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
12. जिन पदों के विरुद्ध संविदा पर कर्मियों नियमानुसार नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जायेगा।

13. मासिक व्यय विवरणी एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से विभाग को अवश्य उपलब्ध करायी जाय।
14. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
15. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

विश्वासभाजन  
217  
(दयानिधान पाण्डेय)  
सरकार के अपर सचिव

स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय,  
भा0प्र0से0  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,  
बिहार।

पटना, दिनांक-

2016

विषय:-

बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001- अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड N2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय के लिये कुल ₹ 6,14,60,000/- (छः करोड़ चौदह लाख साठ हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001- अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड N2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय के लिये कुल ₹ 6,14,60,000/- (छः करोड़ चौदह लाख साठ हजार रुपये) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित किया जाता है।

2. व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ विषय शीर्ष के अन्तर्गत आवंटित राशि से संविदा पर कार्यरत कर्मियों के वेतन/मानदेय का सर्व प्रथम भुगतान किया जायेगा।
3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि0 17 अप्रैल 1998 एवं 396 दिनांक 24.04.2015 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों को ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
6. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
8. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
9. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
10. इसकी मांग संख्या-33 एवं विपत्र कोड संख्या N2053000940001 है।
11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
12. जिन पदों के विरुद्ध संविदा पर कर्मियों नियमानुसार नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जायेगा।

13. मासिक व्यय विवरणी एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से विभाग को अवश्य उपलब्ध करायी जाय।
14. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
15. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(दयानिधान पाण्डेय)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-5/बजट 1-08/2015 सा0-.....<sup>97</sup> /

पटना, दिनांक- 20.03. 2016

प्रतिलिपि :- महालेखाकार बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<sup>213</sup>  
सरकार के अपर सचिव

वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय के लिए (मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-094-अन्य स्थापनाएं-0001-अनुमंडलीय स्थापना) आवंटन :-

क्र० सं०	जिला का नाम	यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	दूरभाष	विद्युत प्रभार	कदी/पोशाक	प्रकाशन एवं मुद्रण	प्रशिक्षण	मोटर गाड़ी	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं	किराया महसूल एवं कर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	षटना	50,000	10,00,000	-	-	12,00,000	40,000	39,000	23,000	-	-	1,30,000	24,82,000
2	भोजपुर	50,000	8,00,000	-	-	10,00,000	40,000	39,000	23,000	-	-	1,30,000	20,82,000
3	बक्सर	50,000	5,00,000	2,00,000	50,000	2,50,000	40,000	39,000	23,000	-	2,00,000	1,30,000	14,82,000
4	रोहतास	50,000	8,00,000	-	-	8,00,000	40,000	39,000	23,000	-	-	1,30,000	18,82,000
5	कैमूर (भमृआ)	50,000	5,00,000	-	-	8,00,000	40,000	39,000	23,000	-	5,00,000	1,30,000	20,82,000
6	नालन्दा	50,000	10,00,000	-	-	10,00,000	40,000	39,000	23,000	-	-	1,30,000	22,82,000
7	गया	3,00,000	11,00,000	6,00,000	-	15,00,000	40,000	39,000	23,000	-	2,00,000	1,30,000	39,32,000
8	नवादा	50,000	5,00,000	-	-	8,00,000	40,000	39,000	23,000	-	-	1,30,000	15,82,000
9	जहानाबाद	50,000	3,00,000	-	-	8,00,000	40,000	39,000	23,000	-	-	1,30,000	13,82,000
10	औरंगाबाद	50,000	5,00,000	3,00,000	50,000	3,00,000	40,000	39,000	23,000	-	1,00,000	1,30,000	15,32,000
11	अरवल	1,00,000	3,00,000	-	-	6,00,000	40,000	39,000	23,000	-	-	1,30,000	12,32,000
12	मुजफ्फरपुर	50,000	8,00,000	3,00,000	50,000	2,00,000	40,000	39,000	23,000	-	1,00,000	1,30,000	17,32,000
13	सीतामढ़ी	1,00,000	5,00,000	-	-	4,00,000	40,000	39,000	23,000	-	-	1,30,000	12,32,000
14	पुठुआ	1,00,000	6,00,000	4,00,000	1,00,000	5,00,000	40,000	39,000	23,000	-	2,00,000	1,30,000	21,32,000
15	फतेहगढ़	1,20,000	21,00,000	4,00,000	1,05,000	4,25,000	40,000	39,000	23,000	-	2,00,000	1,30,000	35,82,000
16	शिवहर	50,000	2,00,000	-	-	4,00,000	40,000	39,000	23,000	-	-	1,30,000	8,82,000
17	वैशाली	-	7,00,000	2,00,000	-	4,00,000	40,000	39,000	23,000	-	-	1,30,000	15,32,000
18	दरभंगा	1,00,000	5,00,000	4,00,000	1,00,000	4,00,000	40,000	39,000	23,000	-	3,00,000	1,30,000	20,32,000
19	मधुबनी	1,00,000	5,00,000	4,00,000	1,00,000	4,00,000	40,000	39,000	23,000	-	3,00,000	1,30,000	20,32,000
	कुल योग -	14,70,000	1,32,00,000	32,00,000	5,55,000	1,21,75,000	7,60,000	7,41,000	4,37,000	-	21,00,000	24,70,000	3,71,08,000

1

वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय के लिए (मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-094-अन्य स्थापनाएं-0001-अनुमंडलीय स्थापना) आवंटन :-

पृष्ठ-2/2

क्र० सं०	जिला का नाम	यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	दूरभाष	विद्युत प्रभार	वर्दी/पोशाक	प्रकाशन एवं मुद्रण	प्रशिक्षण	मोटर गाड़ी	व्यावसायिक एवं विशेष सेवारें	किराया महसूल एवं कर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11
20	सम्बलीपुर	50,000	5,00,000	3,00,000	-	-	40,000	39,000	23,000	-	-	1,30,000	10,82,000
21	सारण	50,000	5,00,000	3,00,000	-	-	40,000	39,000	23,000	-	2,00,000	1,30,000	12,82,000
22	सिवान	50,000	4,00,000	3,00,000	-	-	40,000	39,000	23,000	-	4,00,000	1,30,000	13,82,000
23	गोधालगंज	50,000	3,00,000	3,00,000	-	-	40,000	39,000	23,000	-	-	1,30,000	8,82,000
24	भागलपुर	25,000	4,00,000	-	-	-	40,000	39,000	23,000	-	-	1,30,000	6,57,000
25	बांका	50,000	5,00,000	2,00,000	-	50,000	40,000	39,000	23,000	-	2,00,000	1,30,000	12,32,000
26	मुंगेर	25,000	4,00,000	-	-	-	40,000	39,000	23,000	-	2,00,000	1,30,000	8,57,000
27	लखीसराय	25,000	3,00,000	-	-	-	40,000	39,000	23,000	-	-	1,30,000	5,57,000
28	शेखपुरा	50,000	4,00,000	2,00,000	-	4,00,000	40,000	39,000	23,000	-	1,00,000	1,30,000	13,82,000
29	जमुई	20,000	4,00,000	2,00,000	-	4,00,000	40,000	39,000	23,000	-	2,00,000	1,30,000	14,52,000
30	खगड़िया	20,000	5,00,000	3,00,000	-	5,00,000	40,000	39,000	23,000	-	5,00,000	1,30,000	20,52,000
31	बेगूसराय	25,000	5,00,000	-	-	-	40,000	39,000	23,000	-	-	1,30,000	7,57,000
32	पूर्णिया	1,00,000	8,00,000	5,00,000	-	3,00,000	40,000	39,000	23,000	-	3,14,000	1,30,000	22,46,000
33	कटिहार	50,000	8,00,000	4,00,000	-	3,00,000	40,000	39,000	23,000	-	4,00,000	1,30,000	21,82,000
34	अररिया	50,000	4,00,000	-	-	-	40,000	39,000	23,000	-	-	1,30,000	6,82,000
35	किशनगंज	50,000	3,00,000	-	-	-	40,000	39,000	23,000	-	1,00,000	1,30,000	6,82,000
36	सहरसा	30,000	5,50,000	2,00,000	25,000	1,75,000	25,000	39,000	23,000	7,95,000	2,00,000	1,30,000	21,92,000
37	मधेपुरा	50,000	3,00,000	3,00,000	50,000	4,00,000	25,000	39,000	23,000	-	2,00,000	1,30,000	15,17,000
38	सुपौल	25,000	4,00,000	2,00,000	75,000	1,60,000	25,000	39,000	23,000	-	2,00,000	1,30,000	12,77,000
योग -		7,95,000	86,50,000	37,00,000	1,50,000	26,85,000	7,15,000	7,41,000	4,37,000	7,95,000	32,14,000	24,70,000	2,43,52,000
पृष्ठ-1 का योग		14,70,000	1,32,00,000	32,00,000	5,55,000	1,21,75,000	7,60,000	7,41,000	4,37,000	-	21,00,000	24,70,000	3,71,08,000
कुल योग (पृष्ठ 1+2)		22,65,000	2,18,50,000	69,00,000	7,05,000	1,48,60,000	14,75,000	14,82,000	8,74,000	7,95,000	53,14,000	49,40,000	6,14,60,000

(छ: करोड़ चौदह लाख साठ हजार रुपये) मात्र।

सरकार के अपर सचिव  
सामान्य प्रशासन विभाग